



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-1728/JH/18/2023-ESDW

दिनांक: 27.09.2024

सेवा में,

श्रीमती सीता देवी,
पत्नी बिनोद उरांव,
ग्राम-करौंदी, थाना/पोस्ट-गुमला,
जिला-गुमला,
झारखंड-835207
फोन नं. 9523692229

विषय: दैनिक मजदूर के तौर पर गुमला जिले (झारखंड) में कार्य कर रहे आवेदिका के पति के कार्यस्थल में हाइ वोल्टेज बिजली के तार के संपर्क में आकर झुलस जाने के उपरांत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा समुचित मुआवजा/पुनर्वास नहीं दिये जाने एवं अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने के संबंध में श्रीमती सीता देवी, पत्नी बिनोद उरांव, ग्राम-करौंदी, थाना/पोस्ट-गुमला, जिला-गुमला, झारखंड-835207 का दिनांक 19.04.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखंड में दिनांक 04.10.2024 को 03:20 बजे बैठक तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय सदस्य महोदया (अ.ल.) के निजी सचिव।
- एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।